न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/सीलिंग/5142/2004/पाली

लादाराम पुत्र शिविया जाति सिरवी निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला पाली मृतक जरिये वारिसान–

1. श्रीमती फूली देवी बेबा श्री लादाराम
2. गोरखराम पुत्र लादाराम
3. बाबू लाल पुत्र श्री लादाराम
4. भूण्डाराम पुत्र श्री लादाराम
5. माडी देवी पुत्री श्री लादाराम

जाति सिरवी निवासी बेरा रेलिया खोखरा तहसील सोजत जिला पाली

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली

अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 26.9.2019

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2) ए) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, (सीलिंग) पाली के निर्णय दिनांक 12–10–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई

है। जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली ने सीलिंग प्रकरण संख्या 99/2001 को निर्णित कर ऐससी अपीलांट के धारण में 3–80 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक राजस्थान सरकार अधिग्रहित करने के आदेश दिये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पूर्वज शिविया के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण चला। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–5–71 से सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये प्रकरण को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 7–4–81 से उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णयको राज्य हित एवं सीलिंग कानून के विपरीत मानते हुये धारा 15(2) के अन्तर्गत री ओपन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण जांच कर निस्तारण हेतु प्रेषित किया जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–4–95 से 3–15 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील होने पर निर्णय दिनांक 3–9–96 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 12–10–04 के द्वारा 3–80 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पूर्वज शिविया के विरूद्ध उपखण्ड

अधिकारी सोजत के न्यायालय में पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण चला। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–5–71 से सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये प्रकरण को समाप्त कर दिया। तदुपरान्त राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 7–4–81 से उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णयको राज्य हित एवं सीलिंग कानून के विपरीत मानते हुये धारा 15(2) के अन्तर्गत री ओपन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण जांच कर निस्तारण हेतु प्रेषित किया जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–4–95 से 3–15 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील होने पर निर्णय दिनांक 3–9–96 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 12–10–04 के द्वारा 3–80 स्टे.एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि प्रकरण रीओपन हेतु राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपरण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में विहित समयावधि 7 वर्ष अथवा दिनांक 30–6–79 जो भी बाद में हो,नियत है। उनका कथन है कि प्रकरण में अन्तिम आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 4–5–71 को पारित किया गया जबकि राज्य सरकार द्वारा रीओपन आदेश दिनांक 7–4–81को जारी किया गया। इस प्रकार अधिनियम में विहित समयावधि के पश्चात री ओपन आदेश प्रसारित किया गया है जो परिसीमा अवधि से वर्जित होने के कारण अवैध है। उनका कथन है कि रीओपन आदेश मियाद गुजरने के उपरान्त करीब 4 वर्ष बाद जारी किया गया है ऐसा आदेश क्षेत्राधिकार विहीन

होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में 2006 आर एल डब्लू एच सी पेज 42,1991 आर आर डी पेज 14, 2008 आर आर टी पेज 335, 2006 आर बी जे पेज 628, 2009 आर आर टी पेज 1166,2010 आर बी जे पेज 381,1993 आर आर डी पेज 239 एवं 1997 आर आर डी पेज226 की नजीरें पेश की।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने री ओपन आदेश की पालना में नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। तत्पश्चात बाद सुनवाई विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार ने प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में री ओपन आदेश जारी किया है, जो समयावधि से बाधित नहीं है इसलिये अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है इस प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना सर्वप्रथम हम क्षेत्राधिकार एवं मियाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपरण अधिनियम 1973 की धारा 15 में विहित समयावधि में एवं धारा 15(2) के द्वितीय परन्तुक में विहित समयावधि में, राज्य सरकार को निर्णित सीलिंग प्रकरण पुनः खोलने का क्षेंत्राधिकार है। जहां तक मियाद का प्रश्न है,उक्त अधिनियम की धारा 15(2) में

धारा 40 के तहत निरसित कानून के तहत पुराने सीलिंग कानून निर्णित प्रकरण में जारी अन्तिम आदेश की तिथी के सात वर्ष पश्चात या दिनांक 30–6–79 जो भी बाद में हो के पश्चात कोई नोटिस रीओपन बाबत जारी नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के पूर्वज शिविया के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण चला। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–5–71 से सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये प्रकरण को समाप्त कर दिया। जबकि राज्य सरकार द्वारा री ओपन आदेश लगभग 4 वर्ष के विलम्ब से दिनांक 7–4–81को प्रसारित किया गया है। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपरण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में विहित समयावधि 7 वर्ष अथवा दिनांक 30–6–79 जो भी बाद में हो,नियत है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 4–5–71 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया जबकि राज्य सरकार द्वारा री आपेन आदेश दिनांक 7–4–81 को जारी किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधिनियम में विहित समयावधि के पश्चात री ओपन आदेश प्रसारित किया गया है। अधिनियम में विहित समयावधि में छूट का भी कोई प्रावधान विहित नहीं है। ऐसी स्थिति में री ओपन आदेश विहित समयावधि के पश्चात पारित होने से दूषित एवं समय बाधित होने से अवैध एवं क्षेत्राधिकार के परे है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम में विहित समयावधि पश्चात जारी री ओपन आदेश अवैध एवं क्षेत्राधिकार से परे है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति

को ध्यान में रखते हुयें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तु अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 12–10–2004 निरस्त किया जाता है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक7–4–81 की अनुपालना में पुनः खोले गये सीलिंग प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य